

**ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड रोहडु, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक**

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड रोहडु, जिला शिमला के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

(i) प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री भगत राम देष्टा	01.04.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्री प्रवीन कुमार	23.01.2016 से 31.3.18 तक

(ii) सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राम कृष्ण जिंटा	1.4.2015 से 30.11.2017 तक
2	श्री ब्रजेश कुमार	1.12.2017 से 31.3.2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार

ग्राम पंचायत टिक्कर के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	पंचायत के खाता “ख” से अर्जित ब्याज की राशि को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना	6	1.65
2	गृहकर राजस्व की वसूली शेष पाया जाना	7	0.19
3	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय की सम्बन्धित को रसीदें जारी न करना	8	34.33
4	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Must roll का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे	10	8.48
5	दिनांक 31.03.2018 तक अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	12	26.67

6	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय किया जाना।	13	8.48
7	निर्माण कार्यों हेतु क्रय किए गए सामान की खपत न करना	14	0.06
8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक /स्टोर वस्तुओं का क्रय करना	15	14.21
9	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थायी भण्डार वस्तुओं की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	16	13.05
10	व्यय वाउचरो को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित किए बिना ही भुगतान करना	17	2.54
11	विभिन्न व्यय वाउचरो को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	18	6.28

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.2018 से 27.09.2018 के दौरान ग्राम पंचायत टिक्कर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	10/2015	2/2016
2016-17	8/2016	9/2016
2017-18	9/2017	5/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड रोहडु, जिला शिमला के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-168/18 दिनांक 27.09.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, टिक्कर से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA व 14th Finance Commission के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए हैं। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिस का विस्तृत विवरण संलग्न “परिशिष्ट- 1” पर दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2015-16	1762785	5953443	72521.00	7788749.00	5929286	1859463.00
2016-17	1859463	7532668	102019.00	9494150.00	5149691	4344459.00
2017-18	4344459	7667633	207439.50	12219531.50	8995613	3223918.50

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न किया जाना

ग्राम पंचायत टिक्कर की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

6 पंचायत के खाता “ख” में अर्जित ब्याज ₹1.65 लाख की राशि को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज ₹165450 को खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुये, खाता "ख" में जमा अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned (₹)
2015-16	14th Finance Commission	2593
2016-17	14th Finance Commission	44534
2017-18	14th Finance Commission	118323
Total		₹165450

7 गृहकर राजस्व ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक गृहकर राजस्व राशि ₹19725 लाख वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

8 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹34.33 लाख की सम्बन्धित को रसीदें जारी न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी

उस स्थिति में सचिव द्वारा विहित फार्म-3 में राशि प्राप्ति की रसीदें जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न विवरणानुसार अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान ₹3433600 की प्राप्त आय की सचिव द्वारा सम्बन्धित विभाग को कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुये प्राप्त आय की रसीदें जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिककर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी:-

Month/Year of Receipt	Cash Book Page no.	Amount (₹)	From Where Amount Received
10/15	24	50000	B.D.O Rohru
10/15	24	150000	B.D.O Rohru
10/15	24	200000	B.D.O Rohru
10/15	24	244	Tehsil Tikker
10/15	25	525000	B.D.O Rohru
10/15	25	79806	Excise Department Rohru
10/15	25	45000	D.P.O Shimla
10/15	25	11550	D.P.O Shimla
8/16	38	196000	B.D.O Rohru
8/16	38	500000	B.D.O Rohru
9/17	55	637000	B.D.O Rohru
9/17	55	500000	B.D.O Rohru
9/17	56	539000	B.D.O Rohru
Total		₹3433600	

9 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत नकद राशि रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा “परिशिष्ट -3 में दिये गए विवरणानुसार हस्तगत नकद राशि को निर्धारित सीमा अर्थात् ₹1000 से अधिक रखा गया था, जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण

अनियमित है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत नकद राशि रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत नकद राशि न रखी जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

10 **विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Must roll भुगतान हेतु ₹8.48 लाख की राशि का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹848000 की राशि के व्यय वाऊचरों /Muster roll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत सदस्य/सचिव को किया दर्शाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे, जोकि अनियमित है। ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-4** पर दिया गया है। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत सदस्य/सचिव के नाम जारी करने के कारण भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत उप प्रधान और पंचायत सदस्यों व पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इन सभी भुगतानों की सत्यता की छानबीन विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान नियमानुसार सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

11 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2000 के नियम 37 के अनुसार विहित फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

12 अनुदानों की राशि ₹26.67 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल ₹2667737 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वर्णित अनुपयोग अनुदानों की राशि को सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹8.48 लाख का अनियमित व्यय करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार करके ही किया जाना अपेक्षित है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाऊचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा “परिशिष्ट-6” में वर्णित

निर्माण कार्यो पर ₹848000 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है। अतः निर्माण कार्यो पर किए गए उक्त वर्णित व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यो पर व्यय नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया/ औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 द्वारा प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

14 निर्माण कार्य हेतु क्रय किए गए ₹0.06 लाख के सामान की खपत न करना

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय वाउचर व माप पुस्तिका का अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-7" में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय किए ₹6959 के सामान की न तो निर्माण कार्य हेतु खपत की गई थी और न ही सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष दर्शाया गया था जिसके कारण उक्त सामान के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अतः निर्माण कार्य हेतु क्रय किए ₹6959 के सामान को निर्माण कार्य हेतु खपत न करने व सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष न दर्शाये जाने का ध्यानबीन उपरान्त पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹6959 की राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 द्वारा प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे ध्यानबीन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹14.21 लाख के स्टॉक/स्टोर वस्तुओं का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाऊचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-8" में दिये गए विवरणानुसार

पंचायत द्वारा ₹1421050 की स्टॉक/स्टोर सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित तथा क्रय समिति गठित करके इत्यादि औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है। अतः स्टॉक/स्टोर सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार विहित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

16 क्रय किए गए ₹13.05 लाख के स्थाई एवं अस्थायी भण्डार वस्तुओं की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a,b,c एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गई भण्डार वस्तुओं को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के दौरान क्रय की गई ₹1305590 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण “परिशिष्ट-9” में दिया गया है, को क्रय करने के उपरान्त भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसी स्थिति में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

- 17 व्यय वाउचरों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाए बिना ही ₹2.54 लाख का भुगतान करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1), (2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के दौरान परिशिष्ट-10 में वर्णित ₹254664 के भुगतान बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

18. ₹6.28 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाउचर/ अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए ₹628377 की राशि के विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट-11 पर दिया गया है, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को इन सभी व्यय वाउचरों को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में वर्णित वाउचरों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

- 19 मानदेय के रूप में ₹0.03 लाख की राशि का अधिक भुगतान

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय ₹3200 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित भुगतान की गई मानदेय राशि की छानबीन उपरान्त वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid (₹)	Remarks
Sh.jitesh	5.4.2015	200.00	
Sh. Subhash	20.4.2015	200.00	
Sh.Jitesh	20.4.2015	200.00	
Sh.Bittu	20.4.2015	200.00	
Sh.Sonu	20.4.2015	200.00	
Smt Leela	20.4.2015	200.00	
Smt. Kusum Lata	18.5.2016	200.00	
Sh.Ishwar	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
sh.Jagat Ram	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of

			5/16
Sh. Naresh Bhapta	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
Sh.Raj Ranta	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
Sh. Beena Tegta	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
Smt Kusum Lata	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
Smt Meera	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
Smt Gangotri	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
Smt . Kalpana	-----	200.00	Meeting Was Not held in the month of 5/16
Total		3200.00	

20 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी:-

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12

2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
4	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
5	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
9	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

21 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-167/2018 दिनांक 26.9.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या टिक्कर-1/2018 दिनांक 27.9.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

22. विविध अनियमितताएँ

(i) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फंड - A और पंचायत फंड -B होंगे। पंचायत फंड -A में ग्राम पंचायत के स्वः स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फंड -B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्वः स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फंड - A और पंचायत फंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अतः पंचायत फंड - A और पंचायत फंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए

तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than 14th Finance Commission, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for 14th Finance Commission	इस रोकड़बही में 14th Finance Commission से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

(ii) ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान मनरेगा से सम्बन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ-2 विहित फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना भी अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न

खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है । अतः नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(V) हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु विहित फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है तथा जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान किया जाना सम्भव न हो सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(vi) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा नहीं बनाई गई थी जोकि अनियमित है । अतः नियम 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(vii) ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीद बुकों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही रसीद बुकों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

- 23 लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर लिया गया था।
- 24 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / -
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(i)94 / 2018 खण्ड-1-16-19 दिनांक
2.1.19 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रोहडू जिला शिमला हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड रोहडू, जिला शिमला (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881